भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **384**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023/14 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।

राज्यों को उर्वरक प्रदान करने के नियम

384. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों को यूरिया, डीएपी, पोटाश आदि उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में अब तक महाराष्ट्र में यूरिया, डीएपी और पोटाश के लिए कितनी मांग की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा में उक्त उर्वरक उपलब्ध कराए गए हैं; और
(ग) सरकारी दुकानों में उर्वरकों की अनुपलब्धता, जिसके परिणामस्वरूप लोग निजी दुकानों से अधिक कीमतों पर उर्वरक खरीद रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): प्रत्येक फसली मौसम के प्रारंभ होने से पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। आवश्यकता के आकलन के पश्चात, डीएएण्डएफडब्ल्यू उर्वरकों की मौसम-वार, माह-वार आवश्यकता का अनुमान लगाता है।

डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दिए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर, उर्वरक विभाग विनिर्माताओं तथा तैयार उर्वरकों के आयातकों के परामर्श से आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 की धारा 3 के अनुसार, उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों तथा उर्वरक विभाग द्वारा सम्मत आपूर्ति योजना महीने-दर-महीने आधार पर संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। यूरिया के पचास प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन के अलावा भारत में उत्पादित या आयातित बीस प्रतिशत फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड-6, उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विनियमित किया जाता है।

(ख): महाराष्ट्र के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 हेतु उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री **अनुलग्नक-क** के तौर पर संलग्न है।

(ग): देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी एक्ट) के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरकों के किसी भी संभावित विपथन को रोकने के लिए उर्वरक नियंत्रण और संचलन आदेशों (एफसीओ और एफएमओ) के तहत एक सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र मौजूद है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को इसके प्रावधानों के उल्लंघनकर्ता और जमाखोरी, विपथन, कालाबाजारी आदि में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

****

अनुलग्नक-क

वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु उर्वरक आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

वित्तीय वर्ष 2020-21		महाराष्ट्र में उर्वरकों की स्थिति		
क्र.सं.	उत्पाद समूह	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आवश्यकता	01/04/2020 से 31/03/2021 तक उपलब्धता	01/04/2020 से 31/03/2021 तक संचयी डीबीटी बिक्री
1	यूरिया	25.00	29.76	24.62
2	डीएपी	7.00	9.44	8.17
3	एमओपी	4.50	5.43	4.09
4	एनपीकेएस	21.00	35.89	26.89

वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु उर्वरक आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

वित्तीय वर्ष 2021-22		महाराष्ट्र में उर्वरकों की स्थिति		
क्र.सं.	उत्पाद समूह	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आवश्यकता	01/04/2021 से 31/03/2022 तक उपलब्धता	01/04/2021 से 31/03/2022 तक संचयी डीबीटी बिक्री
1	यूरिया	25.50	28.29	23.68
2	डीएपी	8.50	6.42	5.87
3	एमओपी	4.50	3.63	3.26
4	एनपीकेएस	21.50	28.97	25.75

स्रोत: आईएफएमएस डैशबोर्ड

*** सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता**

**** सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री**